प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 20.12.2025

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार । कब्जे से चोरी का 01 मंगलसूत्र, 01 कलाई घड़ी पीली धातु, 01 नेकलेस पीली धातु, 01 जोड़ी कान के टोप्स पीली धातु, 01 माथे का टीका पीली धातु, 01 चेन मय 02 पेन्डल सफेद धातु, 01 सिक्का सफेद धातु, 01 पाजेब सफेद धातु , 01 मोबाइल फोन, व 210 रूपये नगद बरामद ।

दिनांक 18.12.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादिया के घर से विभिन्न सामान चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 305(ए) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना का अनावरण करने हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात् आज दिनांक 20.12.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त सुमित पुत्र चुन्दन सिंह निवासी बीएमएस स्कूल वाली गली पुष्पांजली विहार लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 मंगलसूत्र, 01 कलाई घड़ी पीली धातु, 01 नेकलेस पीली धातु, 01 जोड़ी कान के टोप्स पीली धातु, 01 माथे का टीका पीली धातु, 01 चेन मय 02 पेन्डल सफेद धातु, 01 सिक्का सफेद धातु, 01 पाजेब सफेद धातु, 01 मोबाइल फोन व 210 रुपये नगद बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2)/331(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 16/12/2025 की रात को मैंने और मेरे दोस्त शिवा पुत्र हेमसिंह व चीनू पुत्र राजेन्द्र ने मौका पाकर वादिया के घर से जेवरात व नगद रूपयों की चोरी कर ली थी। चोरी किये गये कुछ रुपये तथा कुछ सामान शिवा और चीनू के पास हैं तथा मुझे नगद 1500/- रुपये व सामान मिला था जिनमें से कुछ रुपये मैनें खर्च कर दिये तथा यही 210 रुपये बचे हैं। आज मैं इन चोरी के जेबरातों, घड़ी व मोबाइल को बेचने के लिए जा रहा था कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुमित पुत्र चुन्दन सिंह निवासी बीएमएस स्कूल वाली गली पुष्पांजली विहार, लोनी, गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

वाछिंत अभियुक्त-

1. शिवा पुत्र हेमसिंह
2. चीनू पुत्र राजेन्द्र

बरामदगी का विवरण-

01 मंगलसूत्र
01 कलाई घड़ी पीली धातु
01 नेकलेस पीली धातु
01 जोड़ी कान के टोप्स पीली धातु
01 माथे का टीका पीली धातु
01 चेन मय 02 पेन्डल सफेद धातु
01 सिक्का सफेद धातु
01 पाजेब सफेद धातु
01 मोबाइल फोन
210 रूपये नगद

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01/10/2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर आवेदक मौ0 हातीफ हसन निवासी यमुना विहार दिल्ली द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 30/09/2025 को समय करीब 5.00 बजे शाम को अपने ऑफिस दीप सिटी पावी सादकपुर, थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के दौरान अभियुक्त नाजिम व अन्य लोगो के द्वारा आवेदक के साथ मारपीट करना,आवेदक के ऑफिस व गाडी में तोड फोड करना तथा जान से मारने की नीयत से गोली चला देना तथा गोली आवेदक के दोस्त फजल मिर्जा व अंकित त्यागी को लग जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा 191(2)/191(3)/115(2)/109(1)/324(4)/351(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 19/12/2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नाजिम पुत्र साबिर निवासी ग्राम पावी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को गढी कटैया अन्डरपास चौकी क्षेत्र रामपार्क से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मेरा काफी समय से मौ0 हातीफ हसन के साथ प्रोपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। दिनांक 30/09/2025 को हातीफ अपने ऑफिस में कैमरे लगवा रहा था

। मेरी मौ0 हातीफ से प्रोपर्टी को लेकर कहासुनी हो गयी उसके बाद मैंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मौ0 हातीफ पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया जिसमें गोली फजल मिर्जा व अंकित त्यागी को लग गयी। जिसके बाद मैं गाजियाबाद से बाहर भाग गया था और छुपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नाजिम पुत्र साबिर निवासी ग्राम पावी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है व पूर्व में बलवा करने के सम्बन्ध में 02 अभियोग **(कुल 03 अभियोग)** पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई रु 90,000/- की धनराशि वापस करायी गई।

दिनांक 20.12.2025 को साइबर सेल थाना अंकुर विहार गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदिका निवासी खन्ना नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में निकाली गयी 90,000/-रु की धनराशि आवेदिका को वापस करायी गई।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना अंकुर विहार, गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदिका के साथ ऑनलाइन शॉपिंग करने पर ओटीपी लेकर ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना अंकुर विहार, कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदिका के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि के सम्बन्ध में सम्बधित बैंक से पत्राचार व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 20/12/2025 को आवेदिका के साथ हुई साइबर फ्रॉड की 90,000/-रू की धनराशि साइबर सेल टीम थाना अंकुर विहार, गाजियाबाद द्वारा वापस कराया गयी। आवेदिका द्वारा थाना अंकुर विहार पर आकर थाना अंकुर विहार साइबर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल टीम, थाना अंकुर विहार।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13/12/2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त साहिब द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को डरा-धमकाकर अपने घर बुला लेना तथा उसके साथ गलत काम करना तथा जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल सुसंगत धारा 351(2),351(3),64(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया

तत्पश्चात आज दिनांक 20/12/2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त साहिब पुत्र रिजाउल निवासी खुशहाल पार्क चाँद मार्केट पूजा कॉलोनी लोनी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मेरा वादी के घर आना जाना था। मैंने वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने घर बुला लिया और मौका पाकर उसके साथ गलत काम किया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साहिब पुत्र रिजाउल निवासी खुशहाल पार्क चाँद मार्केट पूजा कॉलोनी लोनी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर हत्या के प्रयास में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 18.12.25 को थाना खोड़ा पर वादी अतुल यादव पुत्र अवधेश यादव निवासी इन्द्रापुरम गाजियाबाद द्वारा एक लिखित तहरीर दी कि निखिल राणा, अभिषेक कश्यप, दीपक निवासीगण अज्ञात द्वारा वादी के भाई सतेन्द्र की गर्दन पर धारदार हथियार से वार करने जिससे गंभीर अवस्था में घायल होने के सम्बन्ध में धारा

109 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 19.12.2025 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर हत्या के प्रयास में वांछित 03 अभियुक्त 1.निखिल राणा पुत्र इन्द्र सिह राणा निवासी प्रेम विहार खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष 2.अभिषेक कश्यप पुत्र शिवदास कश्यप निवासी प्रेम विहार खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष 3.दीपक पुत्र किशन कुमार निराला निवासी आरसी 509 कला इन्कलेव खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को खोड़ा अण्ड़र पास से धारा 109 बीएनएस के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि साहब वादी व हम तीनों आपस में अच्छे दोस्त थे। आपस में हंसी मजाक किया करते थे। दिनांक 18.12.25 को किसी बात को लेकर हम लोगों में कहासुनी हो गयी थी। इसी आवेश में आकर हम तीनों ने उसके गले पर चाबी से वार कर दिया था जिससे वो गंभीर अवस्था में घायल हो गया था हम डर गये थे और वहां से भाग गये थे। साहब गलती हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पताः-

1. निखिल राणा पुत्र इन्द्र सिह राणा निवासी प्रेम विहार खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष।
2. अभिषेक कश्यप पुत्र शिवदास कश्यप निवासी प्रेम विहार खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष।
3. दीपक पुत्र किशन कुमार निराला निवासी आरसी 509 कला इन्कलेव खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध उक्त सम्बन्ध में थाना खोडा पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक उ0नि0 श्री पंकज गौतम थाना लोनी द्वारा की गई उच्च गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) श्री हरीश कुमार द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना लोनी, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 363/366/376 भादवि में अभियुक्त सन्नी पुत्र सुखवीर सैनी निवासी ग्राम-मीरपुर हिन्दू, थाना लोनी गाजियाबाद को मा0 न्यायालय अपर सत्र

न्यायाधीश/विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं0-01, गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 20.12.2025 को धारा 376 भादवि में 14 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 366 भादवि में 10 वर्ष का साधारण कारावास व 05 हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 363 भादवि में 07 वर्ष का साधारण कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 01.04.2014 को थाना लोनी पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान अभियोग में धारा 376 भादवि की वृद्धि की गयी थी।